झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्र0स्वी0–186 / 14..... / राँची, दिनांकः .....

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः जल संसाधन विभाग के गढ़वा जिलान्तर्गत भवनाथपुर प्रखंड के बगही नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम योजना निर्माण हेतु रू0 96.317 लाख (छियानवे लाख एकतीस हजार सात सौ) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के गढ़वा जिलान्तर्गत भवनाथपुर प्रखंड के बगही नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम योजना निर्माण हेतु रू0 96.317 लाख (छियानवे लाख एकतीस हजार सात सौ) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2006–07 में लघु सिंचाई अचल मेदिनीनगर के क्षेत्राधीन 8 अदद् श्रृंखलाबद्ध चेकडैम योजना लागत राशि रू0 471.61 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पंत्राक–04 / 2006–07 प्र0स्वी0 दिनांक–12.07.2006 द्वारा प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड के वगही नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम योजना लागत राशि रू0 43.98 लाख के लिए स्वीकृति दी गई।

4. विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा का निस्पादन अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर द्वारा किया गया एंव कार्य मेसर्स मॉ जयन्ती इंजिकोन प्र0लि0 रानीबगान राँची को आवंटित किया गया। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा द्वारा मेसर्स मॉ जयन्ती इंजिकोन प्र0लि0 रानीबगान राँची से दिनांक–26.02.2007 को एकरारनामा किया गया।

एकल निविदा निष्पादन की क्षमता अधीक्षण अभियंता में नहीं रहने के कारण मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची के पत्रांक–730, दिनांक–26.03.2007 एंव अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर पत्रांक–185, दिनांक–26.03.2007 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल गढ़वा द्वारा कार्यादेश को रदद् कर दिया गया।

5. कार्यादेश रदद् करने के आदेश के विरूद्ध संवेदक मेसर्स मॉ जयन्ती इंजिकोन प्र0लि0 रानीबगान राँची द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, राँची के वाद {WP (C) No.- 2624/07} दायर किया गया।

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक–20.12.2012 को न्याय निर्णय पारित किया गया। न्याय निर्णय निम्नवत् हैः– "Learned Counsel for the petitioner submits that petitioner is ready to execute the work and the respondents may consider his request for grant of escalation on the item rates because of delay in its execution of five years from the date of entering in to the agreement.

In that view of the matter, it will open to the petitioner to approach the respondent authorities of the department for consideration of his requests for grant of escalation which

may be considered by them in accordance with law and the norms prevalent taking into account the time elapsed since the agreement itself was entered and was to be executed within a period of six months. It is therefore, made clear that the work be completed as expeditiously as possible so that the benefits of the same may accrue to the people affected in the said region before rainy seasons"

7. पारित न्याय निर्णय के आलोक वर्त्तमान अनुसूचित दर पर कार्य कराने हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव नये अनुसूचित दर पर तैयार कर मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची से प्राप्त हुआ है।
8. इस योजना पर व्यय शून्य प्रतिवेदित है।
9. इस योजना के पूर्ण होने से 60 हे0 खरीफ 10 हे0 रब्बी सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।
10. योजना का Incidence of Cost 137.595/- प्रति हे0 आकलित है तथा लाभ–लागत अनुपात 1.11 है।
11. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष 4702–लघु सिंचाई पर पुजीगत परिव्यय–101–सतही जल–18–चालू लघु सिंचाई योजना का निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अंतर्गत किया जाना होगा।
12. इस कार्य के निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा एंव नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होगे।
13. इस कार्य का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर 2018–19 में पूर्ण किया जाएगा।
14. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
15. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र0स्वी0–186/14...../राँची, दिनांकः .....
प्रतिलिपिः योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र0स्वी0–186/14...../राँची, दिनांकः .....
प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी0–186/14............................/राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी0–186/14............................/राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आयुक्त पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी0–186/14............................/राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी0–186/14 66/1748 जु.स्वी **/राँची, दिनांकः** 15.12.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

15/12/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

15/12/17